NEXT IAS

# दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

**समय:** 45 मिनट

**दिनाँक:** 18-03-2026

## विषय सूची


पश्चिम एशिया संघर्ष से भारत के चिकित्सा पर्यटन उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव

राजकोषीय शासन के प्रहरी के रूप में संसदीय समितियाँ

राज्य का दर्जा तथा छठी अनुसूची की मांगों को लेकर लद्दाख में विरोध रैलियाँ

भारत की कार्बन क्रेडिट योजना को लेकर अनिश्चितता

दत्तक प्रक्रिया को सुदृढ़ करने हेतु CARA द्वारा राष्ट्रव्यापी निर्देश जारी

**संक्षिप्त समाचार**

*गजपति अभिलेख, गुंटूर*

*लद्दाख मैग्मैटिक आर्क*

*दत्तक माताओं को समान मातृत्व अधिकार*

*कोलेस्ट्रॉल और कैंसर मेटास्टेसिस संबंध*

*भारत वैश्विक नारियल उत्पादन में अग्रणी*

*डाइमिथाइल ईथर (DME)*

*चीन का नया 'जातीय एकता' कानून*

# पश्चिम एशिया संघर्ष से भारत के चिकित्सा पर्यटन उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव

## संदर्भ

- भारत की अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं ने विगत कुछ दशकों में विश्वभर से रोगियों को आकर्षित किया है, किंतु पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण उत्पन्न यात्रा व्यवधान नई चुनौतियाँ उत्पन्न कर रहे हैं।

## चिकित्सा पर्यटन क्या है?

- चिकित्सा पर्यटन का आशय उस प्रथा से है जिसमें लोग उपचार, चिकित्सीय प्रक्रियाओं अथवा स्वास्थ्य-संबंधी सेवाओं के लिए किसी अन्य देश या क्षेत्र की यात्रा करते हैं।
- कारण:
  - लोग उन देशों में चिकित्सा सेवाएँ प्राप्त करना चाहते हैं जहाँ उपचार की गुणवत्ता उच्च होती है, किंतु लागत उनके अपने देश की तुलना में काफी कम होती है।
  - स्थानीय स्तर पर उपलब्ध न होने वाली विशेष चिकित्सा सेवाओं या लंबी प्रतीक्षा अवधि वाले उपचारों के लिए यात्रा करना।

## भारत में चिकित्सा पर्यटन

- भारत का चिकित्सा पर्यटन उद्योग लगभग 9 अरब डॉलर मूल्य का है। देश हृदय रोग, अस्थि रोग, कैंसर उपचार और अंग प्रत्यारोपण जैसी उन्नत चिकित्सा सेवाओं हेतु विश्वभर से रोगियों को आकर्षित करता है।
- वर्ष 2023 में भारत में चिकित्सा पर्यटन में लगभग 33% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई।
- दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहर चिकित्सा पर्यटन के प्रमुख गंतव्य हैं, जहाँ शीर्ष स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध हैं।
- मेडिकल टूरिज़्म एसोसिएशन द्वारा जारी मेडिकल टूरिज़्म इंडेक्स (MTI) 2020-21 में भारत को विश्व के 46 गंतव्यों में 10वाँ स्थान प्राप्त हुआ।

## भारत में चिकित्सा पर्यटन की वृद्धि के कारक

- **लागत प्रभावी उपचार:** भारत में चिकित्सा प्रक्रियाएँ अमेरिका या यूरोप जैसे देशों की तुलना में बहुत कम लागत पर उपलब्ध हैं।
- **उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएँ:** भारत में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त अस्पताल और कुशल चिकित्सक उपस्थित हैं।
- **उन्नत चिकित्सा तकनीक की उपलब्धता:** भारतीय अस्पताल अत्याधुनिक तकनीक और नवीनतम उपचारों से सुसज्जित हैं, विशेषकर हृदय रोग, कैंसर एवं अस्थि रोग के क्षेत्र में।

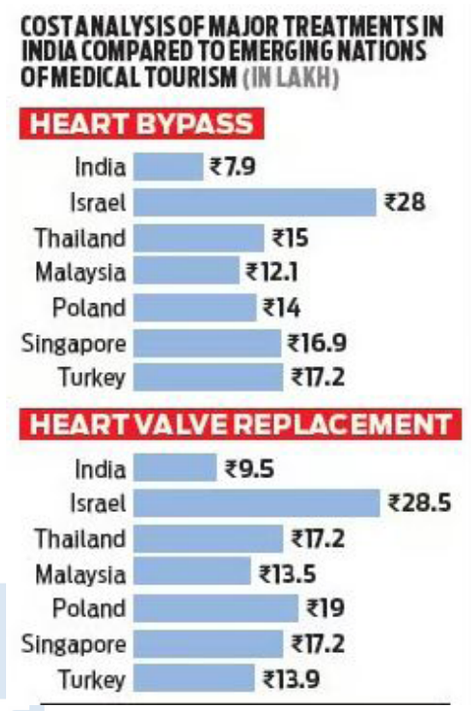


- **कम प्रतीक्षा अवधि:** चिकित्सा पर्यटक समय पर उपचार प्राप्त कर सकते हैं, जिससे पश्चिमी देशों में प्रचलित लंबी प्रतीक्षा अवधि से बचा जा सकता है।
- **सरकारी समर्थन और नीतियाँ:** भारत सरकार ने चिकित्सा वीज़ा सुविधा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार-प्रसार जैसी नीतियाँ लागू की हैं।

## भारत के लिए महत्व

- **आर्थिक वृद्धि:** अंतर्राष्ट्रीय रोगियों से प्राप्त राजस्व स्वास्थ्य क्षेत्र और आतिथ्य, परिवहन जैसे संबंधित उद्योगों को सशक्त करता है।
- **स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार:** चिकित्सा पर्यटकों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अस्पताल अत्याधुनिक सुविधाओं में निवेश करते हैं, जिससे स्थानीय रोगियों को भी लाभ मिलता है।
- **भारत की वैश्विक छवि का संवर्धन:** यह भारत की प्रतिष्ठा को एक वैश्विक स्वास्थ्य गंतव्य के रूप में बढ़ाता है और विदेशी निवेश व साझेदारियों को आकर्षित करता है।

- **प्रौद्योगिकी उन्नति:** उन्नत उपचारों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की माँग नवाचार एवं नई तकनीकों को अपनाने को प्रेरित करती है।
- **कौशल विकास:** चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी अंतर्राष्ट्रीय मानकों एवं विविध रोगी आवश्यकताओं के अनुभव से अधिक दक्ष बनते हैं।
- **राजनयिक संबंध:** विभिन्न देशों से आने वाले रोगी भारत की संस्कृति और आतिथ्य का अनुभव करते हैं, जिससे आपसी समझ और सद्भावना बढ़ती है तथा राजनयिक संबंध सुदृढ़ होते हैं।

### चुनौतियाँ

- मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर से कठोर प्रतिस्पर्धा।
- अधिकांश चिकित्सा सेवाएँ बीमा के अंतर्गत नहीं आतीं, जिससे मेडिकल वैल्यू ट्रैवल (MVT) कम आकर्षक बनता है।
- MVT सुविधा प्रदाता सुव्यवस्थित और मान्यता प्राप्त नहीं हैं; कई अपेशेवर एजेंट यात्रियों का शोषण करते हैं।
- **नियमन का अभाव:** MVT क्षेत्र के लिए व्यापक नियम नहीं हैं, जिससे यह असंगठित रहता है और सेवाओं की गुणवत्ता पर निगरानी नहीं हो पाती।
- **प्रचार का अभाव:** व्यक्तिगत अस्पताल अपने स्तर पर प्रचार करते हैं, किंतु भारत को MVT ब्रांड के रूप में स्थापित करने हेतु कोई प्रभावी अभियान नहीं है।
- **मान्यता:** भारत में NABH (अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड) की सुदृढ़ मान्यता प्रणाली है, किंतु विदेशी देशों में इसकी जागरूकता कम है। अंतर्राष्ट्रीय रोगी JCI (संयुक्त आयोग अंतर्राष्ट्रीय) मान्यता को अधिक महत्व देते हैं।

### आगे की राह

- **भारत के लिए अवसर:**
  - **वृद्ध होती जनसंख्या वाले देशों से माँग:** वृद्ध जनसंख्या वाले देशों में स्वास्थ्य सेवाओं की माँग में वृद्धि होगी।
  - **विकसित देशों में लंबी प्रतीक्षा अवधि:** अनेक विकसित देशों में स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति अपर्याप्त है, जिसके परिणामस्वरूप रोगियों को लंबी प्रतीक्षा अवधि का सामना करना पड़ता है।
- भारत ने AYUSH में भारी निवेश किया है और यह चिकित्सा पर्यटकों को उपचार एवं स्वास्थ्य संवर्धन हेतु आकर्षित करने की विशिष्ट स्थिति में है।
- भारत को MVT गंतव्य के रूप में स्थापित करने हेतु सरकार से अधिक नियमन, सुविधा और विपणन समर्थन की आवश्यकता है।

स्रोत: TH

## राजकोषीय शासन के प्रहरी के रूप में संसदीय समितियाँ

### संदर्भ

- वित्त पर संसदीय स्थायी समिति की एक रिपोर्ट ने योजना मंत्रालय और नीति आयोग की आलोचना की है कि उन्होंने निधियों का अपर्याप्त उपयोग किया तथा वित्तीय प्रबंधन में कमी दिखाई। वित्त वर्ष 2024 और 2025 में व्यय 36% से भी कम रहा।

### संसदीय स्थायी समितियाँ क्या हैं?

- संसदीय स्थायी समितियाँ (PSCs) संसद की स्थायी समितियाँ होती हैं, जिन्हें कार्यपालिका की कार्यप्रणाली की जाँच, समीक्षा और निगरानी के लिए गठित किया जाता है।
- ये समितियाँ वर्षभर कार्य करती हैं, जबकि अस्थायी समितियाँ केवल सीमित अवधि के लिए गठित की जाती हैं।
- **संसदीय स्थायी समितियों के प्रकार:**
  - **विभाग-संबंधी स्थायी समितियाँ (DRSCs):** मंत्रालयों की अनुदान माँगों, उनके पास भेजे गए विधेयकों और नीतिगत मुद्दों की समीक्षा करती हैं। उदाहरण: वित्त पर संसदीय स्थायी समिति।
  - **वित्तीय समितियाँ:** लोक लेखा समिति (PAC), अनुमान समिति और लोक उपक्रम समिति।
  - **अन्य स्थायी समितियाँ:** व्यवसाय सलाहकार समिति, विशेषाधिकार समिति और नियम समिति।

### संसदीय स्थायी समितियों की भूमिका

- संसद से परे विस्तृत वित्तीय समीक्षा: संसदीय परिचर्चाओं में बजटीय प्रावधानों की विस्तृत जाँच के लिए पर्याप्त समय नहीं होता।

- स्थायी समितियाँ अनुदान माँगों, व्यय प्रवृत्तियों और उपयोग पैटर्न की सूक्ष्म समीक्षा करती हैं।

- **प्रमाण-आधारित और गैर-पक्षपातपूर्ण निगरानी:** समितियाँ विशेषज्ञों के सुझाव और आँकड़ों पर आधारित विश्लेषण करती हैं। उनकी रिपोर्टें नीतियों के क्रियान्वयन एवं राजकोषीय अनुशासन का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन प्रस्तुत करती हैं।
- **कार्यपालिका की कार्यप्रणाली की निगरानी:** समितियाँ वर्षभर कार्य करती हैं और मंत्रालयों व विभागों पर निरंतर निगरानी रखती हैं। इससे शासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ती है।

### भारत में बजटीय पूर्वानुमान और उपयोग की चुनौतियाँ

- **अवास्तविक और बढ़ा-चढ़ाकर किए गए बजटीय पूर्वानुमान:** मंत्रालय प्रायः अपनी क्रियान्वयन क्षमता का यथार्थ मूल्यांकन किए बिना व्यय आवश्यकताओं का अनुमान प्रस्तुत करते हैं।
- **निधियों का अपर्याप्त उपयोग:** बजट अनुमान (BE) और वास्तविक व्यय (AE) के बीच बड़ा अंतर होता है। निधियों का कम उपयोग सार्वजनिक संसाधनों को निष्क्रिय कर देता है और विकासात्मक परिणामों में विलंब करता है।
- **परिणाम-उन्मुखता के बिना क्रमिक बजटिंग:** बजट आवंटन प्रतिवर्ष बढ़ते रहते हैं, किंतु उन्हें पूर्व प्रदर्शन या परिणामों से नहीं जोड़ा जाता। यह इनपुट-आधारित बजटिंग की प्रधानता को दर्शाता है।
- **राजकोषीय अनुशासनहीनता:** मंत्रालय अंतिम तिमाही में अत्यधिक व्यय करते हैं ताकि आवंटित निधियों का उपयोग हो सके। ऐसा व्यय त्रैमासिक व्यय योजना (QEP) मानकों और वित्तीय विवेक के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।

### आगे की राह

- संसदीय समिति के अवलोकन कार्यपालिका की जवाबदेही और राजकोषीय अनुशासन सुनिश्चित करने में उसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका को पुनः स्थापित करते हैं।
  - शासन परिणामों में सुधार और भारत के राजकोषीय ढाँचे की विश्वसनीयता पुनर्स्थापित करने के लिए परिणाम-आधारित बजटिंग को सुदृढ़ करना, QEP मानकों का पालन करना और नीति व वित्त का एकीकरण आवश्यक है।

स्रोत: TH

## राज्य का दर्जा तथा छठी अनुसूची की मांगों को लेकर लद्दाख में विरोध रैलियाँ

### संदर्भ

- हाल ही में लद्दाख में राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की माँग को लेकर विरोध रैलियाँ आयोजित की गईं।

### पृष्ठभूमि

- 2019 में अनुच्छेद 370 को संसद द्वारा निरस्त किए जाने के बाद लद्दाख को बिना विधायी सभा के एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया।
- एक वर्ष बाद, बौद्ध-बहुल लेह और मुस्लिम-बहुल कारगिल जिलों में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, जिनमें संवैधानिक सुरक्षा की माँग की गई। इनमें लद्दाख को राज्य का दर्जा, संविधान की छठी अनुसूची में शामिल कर जनजातीय दर्जा प्रदान करना, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार आरक्षण, तथा लेह और कारगिल के लिए अलग-अलग संसदीय सीटें शामिल थीं।

### संविधान की छठी अनुसूची

- छठी अनुसूची को संविधान के अनुच्छेद 244 के अंतर्गत अपनाया गया, जिसमें राज्यों के अंदर स्वायत्त प्रशासनिक इकाइयों के गठन का प्रावधान है।
  - यह अनुसूची असम, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा राज्यों के 'जनजातीय क्षेत्रों' पर लागू होती है। वर्तमान में इन चार राज्यों में ऐसे 10 जनजातीय क्षेत्र हैं।
  - इन इकाइयों को स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) के रूप में विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान की गई है।
- **संरचना:** छठी अनुसूची के अनुसार, किसी राज्य के अंदर क्षेत्र का प्रशासन करने वाली ADCs में 30 सदस्य होते हैं, जिनका कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है।
  - असम की बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद अपवाद है, जिसमें 40 से अधिक सदस्य हैं और 39 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है।

- **अधिकार क्षेत्र:** ADCs भूमि, वन, जल, कृषि, ग्राम परिषद, स्वास्थ्य, स्वच्छता, ग्राम एवं नगर स्तर की पुलिस व्यवस्था, संपत्ति का उत्तराधिकार, विवाह और तलाक, सामाजिक रीति-रिवाज तथा खनन आदि विषयों पर कानून, नियम और विनियम बना सकती हैं।
  - ADCs को ऐसे मामलों की सुनवाई हेतु न्यायालय बनाने का भी अधिकार है, जिनमें दोनों पक्ष अनुसूचित जनजाति के सदस्य हों और अधिकतम सजा पाँच वर्ष से कम हो।
- गवर्नर स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) और क्षेत्रीय परिषदों के संचालन के लिए केंद्रीय प्राधिकरण होते हैं।

### लद्दाख के लोगों की प्रमुख चिंताएँ

- **राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव:** विधायी सभा के बिना केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण सभी प्रमुख निर्णय उपराज्यपाल और केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा लिए जाते हैं, जिससे स्थानीय भागीदारी सीमित हो जाती है।
- **जनसांख्यिकीय परिवर्तन:** प्रवास के कारण जनसांख्यिकीय असंतुलन की आशंका है, जो क्षेत्र की सांस्कृतिक और जातीय संरचना को प्रभावित कर सकता है।
- **पर्यावरणीय क्षरण:** तीव्र अवसंरचना विकास और बड़े पैमाने पर पर्यटन ने जल स्रोतों की कमी, अपशिष्ट समस्या और पारिस्थितिक दबाव को जन्म दिया है।
- **युवाओं में असंतोष:** उच्च बेरोजगारी और शैक्षिक व पेशेवर अवसरों की कमी युवाओं में निराशा को बढ़ा रही है।

### प्रमुख माँगें

- **संवैधानिक सुरक्षा (छठी अनुसूची):** लद्दाखी लोग भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की माँग कर रहे हैं, जिससे जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्तता और भूमि संरक्षण प्राप्त होता है।
- **पूर्ण राज्यत्व या विधायी सभा:** वर्तमान में लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें विधायी सभा नहीं है। अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व और लोकतांत्रिक शासन के लिए राज्य का दर्जा या विधायिका की माँग की जा रही है।
- **नौकरी आरक्षण और स्थानीय रोजगार अवसर:** बाहरी लोगों द्वारा सरकारी और निजी पदों पर नियंत्रण किए जाने की आशंका के कारण विशेष रोजगार कोटा की माँग उठ रही है।
- **पर्यावरण संरक्षण कानून:** लद्दाख की संवेदनशील पारिस्थितिकी को देखते हुए अनियोजित पर्यटन और अवसंरचना परियोजनाओं को रोकने हेतु सख्त पर्यावरणीय नियमों की माँग है।
- **सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का संरक्षण:** विशेषकर लेह की बौद्ध जनसंख्या तिब्बती-बौद्ध धरोहर और मठ परंपराओं की सुरक्षा चाहती है।
- **स्थानीय भागीदारी के साथ आर्थिक विकास:** पर्यटन, सौर ऊर्जा और कृषि जैसे क्षेत्रों में स्थानीय समुदायों को लाभ पहुँचाने वाले समावेशी विकास की माँग की जा रही है।

### आगे की राह

- लद्दाख के लिए एक स्थायी और शांतिपूर्ण भविष्य हेतु राष्ट्रीय हितों एवं स्थानीय आकांक्षाओं के बीच संतुलन आवश्यक है।
- क्षेत्र की विशिष्ट सांस्कृतिक, भौगोलिक और जनसांख्यिकीय विशेषताओं को शासन संरचनाओं में समाहित करना दीर्घकालिक स्थिरता एवं लद्दाख की जनता की संतुष्टि सुनिश्चित करने की कुंजी होगा।

स्रोत: TH

## भारत की कार्बन क्रेडिट योजना को लेकर अनिश्चितता

### संदर्भ

- केंद्रीय बजट 2026 में घोषित ₹20,000 करोड़ के कार्बन क्रेडिट कार्यक्रम ने व्यापक परिचर्चा को शुरू किया कि यह आवंटन औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन (CCUS) हेतु है या सतत कृषि के माध्यम से किसानों द्वारा कार्बन क्रेडिट उत्पन्न करने के लिए।

### कार्बन क्रेडिट कार्यक्रम के बारे में

- केंद्रीय बजट 2026-27 के अंतर्गत केंद्र सरकार ने अगले पाँच वर्षों में कार्बन कैप्चर, स्टोरेज और उपयोग (CCUS) के लिए एक समर्पित योजना के माध्यम से ₹20,000 करोड़ का प्रावधान किया।

- यह योजना विद्युत, इस्पात, सीमेंट, रिफाइनरी और रसायन जैसे पाँच औद्योगिक क्षेत्रों के डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों को पूरा करने हेतु CCUS पहलों को समर्थन देगी।

## कार्बन कैप्चर, स्टोरेज और उपयोग (CCUS)

- CCUS उन तकनीकों का समूह है जो औद्योगिक प्रक्रियाओं या विद्युत संयंत्रों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को पकड़कर या तो पुनः उपयोग करती हैं या सुरक्षित रूप से भूमिगत संग्रहित करती हैं। इससे वातावरण में जलवायु-उष्मा बढ़ाने वाली गैसों की मात्रा कम होती है।
- व्यवहार में इसमें स्रोत पर $CO_2$ को पकड़ना, पाइपलाइन या अन्य माध्यमों से उसका परिवहन करना और फिर औद्योगिक उपयोग में लेना या गहराई में भूमिगत संग्रहित करना शामिल है।

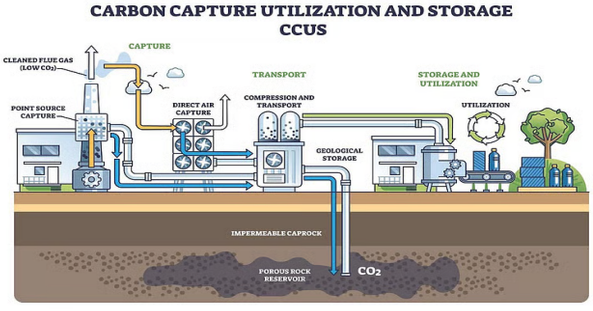


## CCUS पर रोडमैप

- रोडमैप भारत में CCUS तकनीकों के विकास हेतु तीन-चरणीय अनुसंधान एवं विकास रणनीति प्रस्तावित करता है।
  - **प्रथम चरण (निकट अवधि):** वर्तमान और सिद्ध कार्बन कैप्चर एवं स्टोरेज तकनीकों को औद्योगिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर लागू करना।
  - **द्वितीय चरण (मध्य अवधि):** आगामी पीढ़ी के कैप्चर, उपयोग और स्टोरेज समाधानों का प्रदर्शन और सत्यापन, जिससे प्रदर्शन एवं लागत दक्षता में सुधार हो।
  - **तृतीय चरण (दीर्घ अवधि):** मौलिक अनुसंधान में निवेश, जो CCUS क्षमताओं को रूपांतरित कर सके तथा समय के साथ लागत कम कर सके।

## कार्बन क्रेडिट योजना पर चिंता

- कार्बन क्रेडिट कार्यक्रम से यह धारणा बनी कि इसका दायरा व्यापक होगा और इसमें कृषि जैसे क्षेत्र भी शामिल होंगे।
- हालाँकि, व्यवहार में बजटीय प्रावधान मुख्यतः CCUS रोडमैप के अनुरूप हैं।
- इससे भ्रम उत्पन्न हुआ क्योंकि "कार्बन क्रेडिट कार्यक्रम" शब्द सामान्यतः कृषि-आधारित कार्बन बाज़ारों से जुड़ा होता है, जहाँ किसान मृदा कार्बन अवशोषण और कृषि-वनीकरण जैसी प्रथाओं से आय अर्जित कर सकते हैं।

## कृषि को क्यों शामिल नहीं किया गया?

- रोडमैप ने कृषि को CCUS के दायरे से बाहर रखा है, यद्यपि इसे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का योगदानकर्ता माना गया है।
- **कारण:**
  - कृषि उत्सर्जन मुख्यतः बिखरे हुए स्रोतों से उत्पन्न होते हैं, जैसे खेत, पशुधन और मृदा प्रक्रियाएँ।
  - ये उत्सर्जन जैविक रूप से मध्यस्थित होते हैं, मुख्यतः मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में, जिन्हें पॉइंट-सोर्स तकनीकों से पकड़ना संभव नहीं है।
- परिणामस्वरूप, कृषि CCUS के बजाय कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल (CDR) के अंतर्गत आती है, जहाँ ध्यान नए उत्सर्जन को पकड़ने के बजाय वातावरण से वर्तमान कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने पर होता है।
  - यह मृदा कार्बन अवशोषण, कृषि-वनीकरण और बायोचार अनुप्रयोग जैसी प्रथाओं के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में कार्बन भंडारण को बढ़ाते हैं।

## आगे की राह

- भारत को बहु-क्षेत्रीय और स्पष्ट रूप से विभाजित रणनीति अपनानी चाहिए, जो औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन एवं कृषि कार्बन अवशोषण दोनों को अलग-अलग संबोधित करे, ताकि नीतिगत भ्रम तथा ओवरलैप से बचा जा सके।
- सरकार को कार्बन खेती की प्रथाओं को बढ़ावा देना चाहिए, जिसके लिए वित्तीय प्रोत्साहन, क्षमता निर्माण और सशक्त संस्थागत समर्थन प्रदान किया जाए, ताकि

किसान उभरते कार्बन बाज़ारों में प्रभावी रूप से भाग ले सकें तथा अतिरिक्त आय अर्जित कर सकें।

स्रोत: TH

## दत्तक प्रक्रिया को सुदृढ़ करने हेतु CARA द्वारा राष्ट्रव्यापी निर्देश जारी

### संदर्भ

- केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण (CARA) ने सभी राज्य दत्तक संसाधन एजेंसियों (SARAs) को दत्तक प्रक्रिया के अनुपालन को सुदृढ़ करने हेतु तीन महत्त्वपूर्ण कार्यालय ज्ञापन जारी किए हैं।

### CARA के निर्देश

- **उद्देश्य:** दत्तक प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और बाल संरक्षण को सुदृढ़ करना।
- **प्रथम ज्ञापन:** कोई भी अनाथ या परित्यक्त बालक विधिक रूप से दत्तक हेतु तभी मुक्त घोषित किया जा सकता है जब आवश्यक जाँच पूरी हो।
  - समर्पित (सरेण्डर किए गए) बच्चों के मामले में दो माह की अनिवार्य पुनर्विचार अवधि का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।
- **द्वितीय ज्ञापन:** राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया गया है कि सभी भौतिक एवं डिजिटल अभिलेख सुरक्षित रूप से संरक्षित किए जाएँ तथा उन्हें नामित प्राधिकरण अथवा संस्था को हस्तांतरित किया जाए।
- **तृतीय ज्ञापन:** CARA ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को धारा 74 का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, जिसके अंतर्गत कानून से संघर्षरत बच्चों अथवा देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान का प्रकटीकरण निषिद्ध है।

### भारत में दत्तक संबंधी विनियम

- **हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम (HAMA), 1956:**
  - यह अधिनियम हिंदू, बौद्ध, जैन और सिखों पर लागू होता है।
  - इसमें न्यायालय की भागीदारी आवश्यक नहीं है।
  - यह व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित है, किंतु HAMA के अंतर्गत कुछ शर्तों का पालन अनिवार्य है।
- **किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (JJ Act):**
  - यह सभी भारतीय नागरिकों (धर्म की परवाह किए बिना) पर लागू होता है।
  - इसमें न्यायालय आदेशों के माध्यम से दत्तक प्रक्रिया होती है और इसका प्रशासन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण (CARA) द्वारा किया जाता है।
  - CARA एक वैधानिक निकाय है जो मान्यता प्राप्त दत्तक एजेंसियों के माध्यम से अनाथ, परित्यक्त और समर्पित बच्चों के दत्तक ग्रहण की निगरानी और विनियमन करता है।

### CARA के अंतर्गत दत्तक प्रक्रिया

- **बच्चों की पात्रता:**
  - बाल कल्याण समिति (CWC) द्वारा विधिक रूप से दत्तक हेतु मुक्त घोषित होना।
  - आयु 18 वर्ष से कम होना।
  - परित्यक्त, समर्पित या अनाथ होना।
- **JJ Act (CARA के माध्यम से) के अंतर्गत अभिभावक की पात्रता:**
  - कोई भी भारतीय नागरिक (NRI, OCI कार्डधारक सहित)।
  - विवाहित दंपति (न्यूनतम 2 वर्ष का स्थिर विवाह)।
  - अविवाहित, तलाकशुदा या विधुर/विधवा व्यक्ति।
  - दत्तक अभिभावक और बच्चे के बीच न्यूनतम 25 वर्ष का आयु अंतर होना चाहिए।
  - अधिकतम संयुक्त आयु सीमा:
    - 4 वर्ष से कम आयु के बच्चे हेतु 45 वर्ष तक।
    - 4–8 वर्ष आयु के बच्चों हेतु 50 वर्ष तक।
    - 8–18 वर्ष आयु के बच्चों हेतु 55 वर्ष तक।
- **अपवाद:** रिश्तेदारों द्वारा दत्तक ग्रहण और सौतेले अभिभावक द्वारा दत्तक ग्रहण के मामलों में आयु मानदंड लागू नहीं होंगे।
- **गैर-व्यावसायिक:** दत्तक ग्रहण हेतु किसी भी प्रकार की बिक्री या भुगतान अवैध है।

- **निषिद्ध श्रेणियाँ:** लिव-इन जोड़े और समान-लिंगी जोड़े वर्तमान में CARA के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत पात्र नहीं हैं।

स्रोत: PIB

# संक्षिप्त समाचार

## गजपति अभिलेख, गुंटूर

### संदर्भ

- गजपति वंश से संबंधित एक मध्यकालीन अभिलेख आंध्र प्रदेश के गुंटूर स्थित लक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर में खोजा गया है।

### प्रमुख निष्कर्ष

- यह अभिलेख मंदिर मंडप के एक पत्थर के स्तंभ पर उत्कीर्ण है।
- इसमें कुमारगुरु महापात्र का उल्लेख है, जो 15वीं शताब्दी ईस्वी में पुरुषोत्तम देव के अधीन अधिकारी थे।
- अभिलेख से संकेत मिलता है कि नरसिंह की मूर्ति और मंडप के स्तंभ क्षेत्र में आक्रमणों के बाद कोंडवीडु किले से यहाँ स्थानांतरित किए गए थे।
  - मूल रूप से यह अभिलेख कोंडवीडु के भगवान मल्लिकार्जुन को समर्पित था, जिसे बाद में गुंटूर मंदिर में स्थानांतरित किया गया।
- इसमें मंदिर की रस्मों जैसे दूध अर्पण का उल्लेख है तथा स्थानीय समुदायों द्वारा गौ-प्रबंधन का भी वर्णन है।
- निष्कर्ष हरि-हर उपासना की परंपरा को दर्शाते हैं, जो शैव और वैष्णव विश्वासों के समन्वित स्वरूप को इंगित करती है।

### गजपति वंश

- गजपति वंश एक शक्तिशाली मध्यकालीन राज्य था, जिसकी उत्पत्ति ओडिशा में हुई और यह 15वीं–16वीं शताब्दी में विकसित हुआ।
- इसकी स्थापना पूर्वी गंगा वंश के पतन के बाद कपिलेंद्र देव ने की थी।
- अपने उत्कर्ष पर यह साम्राज्य वर्तमान पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों से लेकर तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तक फैला था, जिसकी राजधानी कटका (आधुनिक कटक) थी।
- गजपति शासक कला, वास्तुकला और साहित्य के संरक्षक थे तथा विजयनगर साम्राज्य के साथ निरंतर प्रतिद्वंद्विता रखते थे।

स्रोत: DC

## लद्दाख मैग्मैटिक आर्क

### समाचार में

- हिमालयन भूविज्ञान संस्थान, वाडिया के वैज्ञानिकों ने हाल ही में उत्तर-पश्चिम हिमालय में लद्दाख मैग्मैटिक आर्क (LMA) के विकास को समझा है।

### परिचय

- लद्दाख मैग्मैटिक आर्क भारत के ट्रांस-हिमालय क्षेत्र (मुख्यतः लद्दाख) में स्थित आग्नेय शैलों की एक पट्टी है।
- यह एक लंबे समय से विलुप्त ज्वालामुखीय आर्क प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है।
- वर्तमान लद्दाख क्षेत्र कभी नियो-टैथिस महासागर के ऊपर स्थित था। इस महासागर के नीचे भारतीय प्लेट की महासागरीय परत यूरेशियन प्लेट की ओर बढ़ रही थी।
- घनी महासागरीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे धँस गई (सबडक्शन)। इस प्रक्रिया से मेंटल पदार्थ का पिघलना, मैग्मा का निर्माण और उसका ऊपर उठकर ज्वालामुखीय आर्क का निर्माण हुआ।

स्रोत: TH

## दत्तक माताओं को समान मातृत्व अधिकार

### संदर्भ

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि सभी महिला कर्मचारी जो बच्चों को गोद लेती हैं, उन्हें बच्चे

की आयु की परवाह किए बिना 12 सप्ताह का वेतन सहित मातृत्व अवकाश प्राप्त करने का अधिकार है।

### पृष्ठभूमि

- भारत में मातृत्व लाभों का कानूनी ढाँचा *मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961* से उत्पन्न होता है।
- 2017 के संशोधन के माध्यम से प्रथम बार दत्तक और कमीशनिंग माताओं को 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश प्रदान किया गया।
- हालाँकि, एक प्रतिबंधात्मक शर्त जोड़ी गई कि मातृत्व अवकाश केवल तभी उपलब्ध होगा जब गोद लिया गया बच्चा 3 माह से कम आयु का हो।
  - यह प्रावधान बाद में *सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020* की धारा 60(4) में सम्मिलित किया गया।

### सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

- **चिंता:** भारत की दत्तक प्रक्रिया, जो केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण (CARA) के दिशा-निर्देशों द्वारा संचालित होती है, शायद ही कभी तीन माह से कम आयु के बच्चों को गोद लेने की अनुमति देती है।
  - परिणामस्वरूप, अधिकांश दत्तक माताओं को मातृत्व लाभ से वंचित कर दिया गया, जिससे यह प्रावधान लगभग निरर्थक हो गया।
- न्यायालय ने निर्णय दिया कि आयु-आधारित वर्गीकरण भेदभावपूर्ण है और संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 21 का उल्लंघन करता है।
- न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि दत्तक ग्रहण मातृत्व का समान रूप से वैध मार्ग है और इसे जैविक प्रसव से भिन्न नहीं माना जा सकता।

स्रोत: HT

## कोलेस्ट्रॉल और कैंसर मेटास्टेसिस संबंध

### संदर्भ

- हाल ही में एक अध्ययन ने नाभिकीय झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल के संचय और कैंसर मेटास्टेसिस (विशेषकर मेलेनोमा) में वृद्धि के बीच एक नया संबंध पहचाना है।

### मेलेनोमा और मेटास्टेसिस क्या है?

- मेलेनोमा: यह एक आक्रामक त्वचा कैंसर है, जो मेलानोसाइट्स (मेलानिन बनाने वाली कोशिकाओं) से उत्पन्न होता है।
- **मेटास्टेसिस:** कैंसर कोशिकाओं का प्राथमिक स्थान से दूरस्थ अंगों तक फैलना।
- कैंसर की प्रगति में अनियंत्रित कोशिका विभाजन, प्रतिरक्षा प्रणाली से बच निकलना, अन्य ऊतकों में प्रवेश और फैलाव की क्षमता शामिल होती है।

### नाभिकीय संरचना में कोलेस्ट्रॉल की भूमिका

- नाभिकीय झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल का संचय नाभिक की लचीलेपन को बढ़ाता है, जिससे यह अधिक "नरम" हो जाता है।
- यह बढ़ी हुई लचीलापन कैंसर कोशिकाओं को संकरे ऊतक स्थानों से गुजरने की क्षमता प्रदान करता है।

### लैमिन बी रिसेप्टर (LBR)

- LBR एक प्रोटीन है जो आंतरिक नाभिकीय झिल्ली में स्थित होता है और द्वैध कार्य करता है।
  - यह DNA को नाभिकीय संरचना से जोड़ने में सहायता करता है, जिससे नाभिकीय संगठन बना रहता है।
  - यह कोशिका के अंदर कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण को भी बढ़ावा देता है।
- कैंसर कोशिकाओं में LBR की अधिक अभिव्यक्ति नाभिकीय झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल स्तर को बढ़ाती है।
- इसके विपरीत, LBR की कमी नाभिकीय झिल्ली को सुदृढ़ करती है और उसकी लचीलापन को कम करती है।

### कोलेस्ट्रॉल क्या है?

- कोलेस्ट्रॉल एक वसा-सदृश (लिपिड) पदार्थ है जो मानव शरीर के सामान्य कार्य के लिए आवश्यक है।
- यह कोशिका झिल्लियों का प्रमुख संरचनात्मक घटक है और निम्नलिखित संश्लेषण हेतु आवश्यक है:
  - हार्मोन जैसे स्टेरॉयड (उदा. एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन)।
  - विटामिन D।
  - पित्त अम्ल, जो वसा के पाचन में सहायक होते हैं।
- शरीर का अधिकांश कोलेस्ट्रॉल यकृत में बनता है, जबकि थोड़ी मात्रा पशु-आधारित खाद्य पदार्थों से प्राप्त होती है।

- रक्त में कोलेस्ट्रॉल लिपोप्रोटीन के माध्यम से परिवहन होता है:
  - **LDL (लो-डेंसिटी लिपोप्रोटीन):** जिसे "खराब कोलेस्ट्रॉल" कहा जाता है, क्योंकि यह धमनियों में प्लाक निर्माण करता है।
  - **HDL (हाई-डेंसिटी लिपोप्रोटीन):** जिसे "अच्छा कोलेस्ट्रॉल" कहा जाता है, क्योंकि यह रक्त से अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल हटाने में मदद करता है।
- यद्यपि कोलेस्ट्रॉल आवश्यक है, इसकी अत्यधिक मात्रा, विशेषकर LDL की, हृदय संबंधी रोगों का कारण बन सकती है।

स्रोत: TH

## भारत वैश्विक नारियल उत्पादन में अग्रणी

### संदर्भ

- भारत विश्व का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक है, जो वैश्विक नारियल उत्पादन में 30.37% का योगदान देता है।

### परिचय

- **पौधे का प्रकार:** नारियल एक बहुवर्षीय बागान फसल है और ऐरेकेसी परिवार से संबंधित एक एकबीजपत्री पाम है।
- **उत्पत्ति:** नारियल इंडो-प्रशांत क्षेत्र का मूल निवासी है, जिसकी उत्पत्ति सामान्यतः दक्षिण-पूर्व एशिया से मानी जाती है।
- **जलवायु आवश्यकताएँ:** नारियल को उष्ण और आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। यह 25°C से 30°C तापमान वाले क्षेत्रों में और उच्च व समान रूप से वितरित वर्षा में सर्वोत्तम रूप से बढ़ता है।
- **मृदा आवश्यकताएँ:** नारियल अच्छी जल-निकासी वाली बलुई दोमट, जलोढ़, लेटराइट और तटीय मृदा में अच्छी तरह पनपता है।
- **भारत में वितरण:** यह मुख्यतः केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गोवा और पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है।

### क्या आप जानते हैं?

- नारियल संवर्धन योजना (बजट 2026–27): पुरानी वृक्षों को उन्नत किस्मों से पुनः रोपण कर उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य।
  - यह पहल उच्च-मूल्य कृषि हेतु ₹350 करोड़ के व्यापक आवंटन का हिस्सा है, जिसमें नारियल, काजू और कोको शामिल हैं।

स्रोत: PIB

## डाइमिथाइल ईथर (DME)

### संदर्भ

- CSIR-राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने आपूर्ति व्यवधानों के बीच LPG के विकल्प के रूप में डाइमिथाइल ईथर (DME) उत्पादन हेतु स्वदेशी तकनीक विकसित की है।

### डाइमिथाइल ईथर (DME)

- DME एक रंगहीन, स्वच्छ-दहनशील गैस है, जो बायोमास, मेथनॉल या जीवाश्म ईंधन से उत्पादित होती है।
- **प्रमुख विशेषताएँ:** पारंपरिक ईंधनों की तुलना में काफी कम कालिख, NOx, SOx और कण उत्सर्जित करता है।
  - LPG के समान ऊष्मीय दक्षता प्रदान करता है।
- विनियमन एवं अपनाना: राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति, 2018 के अंतर्गत इसे वैकल्पिक ईंधन के रूप में मान्यता प्राप्त है।
  - भारतीय मानक ब्यूरो ने IS 18698:2024 के अंतर्गत LPG में 20% तक मिश्रण की अनुमति दी है।
  - 8% तक मिश्रण के लिए वर्तमान LPG अवसंरचना (सिलेंडर, रेगुलेटर, बर्नर) में कोई संशोधन आवश्यक नहीं है।
- आर्थिक प्रभाव: LPG में 8% DME प्रतिस्थापन से प्रतिवर्ष लगभग ₹9,500 करोड़ विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है।
- अन्य उपयोग: DME को ऑटोमोबाइल ईंधन (डीज़ल विकल्प) और एरोसोल प्रोपेलेंट के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है, जो CFCs का स्थान ले सकता है।

स्रोत: ET

# चीन का नया 'जातीय एकता' कानून

## संदर्भ

- चीन की सर्वोच्च विधायी संस्था ने देश के विभिन्न जातीय समूहों के बीच "एकता और सद्भाव" सुनिश्चित करने हेतु एक कानून पारित किया है।

## परिचय

- उद्देश्य: भेदभाव को समाप्त करना और अंतर-समुदाय विवाह को बढ़ावा देना। यह उन कार्यों को दंडित करने का भी प्रयास करता है जो जातीय एकता को कमजोर करते हैं या जातीय विभाजन उत्पन्न करते हैं।
  - यह कानून मंदारिन को राष्ट्र की सामान्य भाषा और लिपि के रूप में प्रोत्साहित करता है।
- इसमें एक साझा ऐतिहासिक "वीर संघर्ष" का उल्लेख है, जिसमें राष्ट्र को बचाने तथा "विदेशी आक्रमण का संयुक्त रूप से प्रतिरोध" करने की बात कही गई है। यह 19वीं शताब्दी में साम्राज्यवादी चीन के कुछ हिस्सों पर औपनिवेशिक नियंत्रण का संदर्भ देता है।
- यह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को "कामगार वर्ग और चीनी जनता की अग्रदूत" के रूप में मान्यता देता है।
- कोई भी संगठन या व्यक्ति जातीय पहचान, रीति-रिवाज या धार्मिक विश्वास के आधार पर विवाह की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

## चीन की जातीय संरचना क्या है?

- चीन 56 जातीय समूहों को मान्यता देता है, जिनमें हान, उइगर (मुख्यतः शिनजियांग के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में), तिब्बती, मंचू और मंगोल शामिल हैं।
- हान चीनी कुल जनसंख्या का 90% से अधिक हिस्सा हैं।
  - हान ताइवान (जिसे चीन अपना क्षेत्र मानता है) और हांगकांग (चीन का विशेष प्रशासनिक क्षेत्र) में भी सबसे बड़ा समूह हैं।

स्रोत: IE

■■■■